(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 33 / 2024

पंजीकरण संख्या :— 2024 / 182

बउनवान

चौथमल पुत्र छीतरनाथ जाति योगी निवासी बमारी तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा निवासी बमोरी तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.)
2. चौथमल पुत्र शंकरलाल जाति बैरवा निवासी बमोरी हाल खेडली डबका तहसील अटरू जिला बारॉ (राज.)

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, अटरू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 03 / 2024 मे पारित निर्णय दिनांक 30.08.2024 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :— 1— श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांट)
2— श्री संजय नागर अभिभाषक (रेस्पोडेन्टगण)

निर्णय दिनांक 28.02.2025

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 03 / 2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान नन्दकिशोर बैरवा बनाम चौथमल नाथ योगी मे पारित निर्णय दिनांक 30.08.2024 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 19.11.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू से मूल पत्रावली तलब की गई जो प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्टगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू मे रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बमोरी मे स्थित है। आराजियात खाता संख्या 181 के खसरा नम्बर 119 / 863 रकबा 0.50 हेक्टयर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.15 हेक्टयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.31 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकता 0.96 हेक्टयर रेस्पोडेन्टगण के शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर अपीलांट ने जानबूझ कर जबरदस्ती जातिय कारणो से रेस्पो. की इच्छा के विपरीत व बिना इजाजत के कब्जा कर लिया है। रेस्पोडेन्ट अपनी आराजियात पर काश्त करने से वंचित हो रहे है। रेस्पोडेन्ट को आर्थिक क्षति उठानी पड रही है। अ[illegible]तोष चाहा गया कि अपीलांट को रेस्पोडेन्ट की आराजियात से बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेन्टगण [illegible] दिल[illegible] जावे। इस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुये जवाब पेश [illegible] इसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण कर दि[illegible] प्राकृतिक न्याय के सि[illegible] तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किय जाने योग्य [illegible]

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रे[illegible]डेन्ट क्रम 1 व 2 द्वारा प्रस्[illegible]ना पत्र पर उक्त निर्णय पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति को अभिलेख पर होने के बावजूद भी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कालीबाई व छीताबाई की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसानो को बिना रिकार्ड पर लिये उक्त निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे रेस्पो. क्रम 1 व 2 को अपने हिस्से की भूमि 1 / 4 व 1 / 4 पर ही अनुतोष चाहा जाना चाहिये था। जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:14 IST
Reason: SelfAttested

यह कि रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि ग्राम बमोरी तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 119/863 रकबा 0.50 हेक्टयर, खसरा नम्ब्र 355 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.31 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 हैक्टयर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को मुनाफा काश्त के दिये एक वर्ष के लिये दी थी तथा अपीलांट ने मुनाफा देना बन्द कर दिया ओर जबरन रेस्पोडेन्ट के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया का अभिवचन कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्टगण को अपनी आराजियात के बारे मे कुछ भी पता नही है तथा राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम देखकर उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की है।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे हल्का पटवारी बमोरी की रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ग्राम बमोरी की आराजी खसरा नम्बर 119/863 रकबा 0.50 हेक्टयर भूमि पर चौथमल पुत्र छीतरलाल जाति नाथ के कब्जे मे चली आ रही है तथा उस पर सरसों की फसल काश्त की हुई है। खसरा नम्बर 56 रकबा 0.31 हेक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप मे उपयोग की जा रही है तथा खसरा नम्बर 355 रकबा 0.15 हेक्टयर जमीन पडत पडी हुई है तथा झाड झकांड से आकृत है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्य अंकित किये है तथा रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय मे स्वच्छ हाथों से नही आने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व व मनमाना निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण करते समय 183 (बी) की न्यायिक कार्यवाही होने के बावजूद तथा उक्त प्रकरण मे अपीलांट को जवाब पेश होने के बावजूद प्रकरण को व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णित नही किया गया। उपरोक्त प्रकरण मे अपीलांट द्वारा दिनांक 17.05.2024 को अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था, जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात पत्रावली साक्ष्य प्रार्थी चलानी चाहिये थी तथा प्रार्थी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के उपरांत प्रार्थी की साक्ष्य बन्द कर अप्रार्थी की साक्ष्य लेकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2024 को साक्ष्य बन्द कर पत्रावली को वास्ते बहस नियत कर दिया, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि दोनो पक्षो को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये था। परन्तु उक्त प्रकरण मे इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दू की अनदेखी कर उक्त निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण का निस्तारण मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम बमोरी की आराजी खसरा नम्बर 119/863 रकबा 0.50 हेक्टयर आराजी अपीलांट के खातेदारी की आराजी के पास स्थित है तथा उपरोक्त आराजी पर अपीलांट का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त आराजियात रेस्पोडेन्ट के पिता शंकरलाल पुत्र कंवरलाल जाति बैरवा को आवंटन हुई थी। परन्तु उपरोक्त आराजी पर कब्जा शुरू से ही अपीलांट के परिवार का रहा उपरोक्त आराजियात पर ना तो शंकरलाल का कब्जा रहा है और न ही कभी रेस्पोडेन्ट का कब्जा रहा है। जब रेस्पोडेन्ट का कब्जा उपरोक्त आराजी पर कभी रहा ही नही तो उन्हे जबरन बेदखल कर अपीलांट द्वारा कब्जा किया गया हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बेदखली व शास्ती से दण्डित किया गया है जो विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अपीलांट को उपरोक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 03.09.2024 को अपनी अधिवक्ता द्वारा सूचना दिये जाने पर हुई जिस पर अपीलांट द्वारा नकल हेतु प्रार्थना पत्र दि. 10.09.2024 को प्रस्तुत किया तथा दिनांक 10.09.2024 को नकल प्राप्त की जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। मियाद के लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह प्रकरण मे अपीलांट को अपनी साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा करने का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर प्रकरण का निर्णय करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:14 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू मे सम्पूर्ण खातेदारो ने एक वाद इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बमोरी तहसील अटरू जिला बारॉ मे स्थित है। आराजियात खाता संख्या 181 के खसरा नम्बर 119/863 रकबा 0.50 हेक्टयर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.15 हेक्टयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.31 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकता 0.96 हेक्टयर रेस्पोडेन्टगण के शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड

है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर अपीलांट ने जानबूझ कर जबरदस्ती जातिय कारणो से रेस्पोडेन्टगण की इच्छा के विपरीत व बिना इजाजत के कब्जा कर लिया है। रेस्पोडेन्टगण अपनी आराजियात पर काश्त करने से वंचित हो रहे है। रेस्पोडेन्ट को आर्थिक क्षति उठानी पड रही है। अन्त मे अनुतोष चाहा गया कि अपीलांट को रेस्पोडेन्टगण की आराजियात से बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेन्टगण को दिलवाया जावे। इस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट ली गई ओर अपीलांट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है उसके द्वारा जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। 183 (बी) आर.टी.एक्ट एक समरी ट्रायल प्रक्रिया है। जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा निर्णय पारित किया गया है। उक्त भूमि पर वर्तमान मे हम काश्त कर रहे है कब्जा प्राप्त कर लिया है। ये प्रभावशाली लोग है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में **अपीलांट के अभिभाषक** का मुख्य कथन है कि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा एक वाद इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बमोरी तहसील अटरू जिला बारॉ मे स्थित है। आराजियात खाता संख्या 181 के खसरा नम्बर 119/863 रकबा 0.50 हेक्टयर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.15 हेक्टयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.31 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकता 0.96 हेक्टयर रेस्पोडेन्टगण के शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर अपीलांट ने जानबूझ कर जबरदस्ती जातिय कारणो से रेस्पोडेन्टगण की इच्छा के विपरीत व बिना इजाजत के कब्जा कर लिया है। उक्त विवादित आराजी कालीबाई 1/4, चौथमल 1/4, छीताबाई 1/4, नन्दकिशोर 1/4 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रकरण मे कालीबाई एवं छीताबाई की मृत्यु हो चुकी है। इनके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया जाना चाहिये था।

यह कि ग्राम बमोरी तहसील अटरू जिला बारॉ की आराजी खसरा नम्बर 119/863 रकबा 0.50 हेक्टयर आराजी अपीलांट के खातेदारी की आराजी के पास स्थित है तथा उपरोक्त आराजी पर अपीलांट का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त आराजियात रेस्पोडेन्ट के पिता शंकरलाल पुत्र कंवरलाल जाति बैरवा को आवंटन हुई थी। परन्तु उपरोक्त आराजी पर कब्जा शुरू से ही अपीलांट के परिवार का रहा है। उपरोक्त आराजियात पर ना तो शंकरलाल का कब्जा रहा है और न ही कभी रेस्पोडेन्ट का कब्जा रहा है। प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक का कथन है कि रेस्पोडेन्टगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बमोरी तहसील अटरू जिला बारॉ मे स्थित है। आराजियात खाता संख्या 181 के खसरा नम्बर 119/863 रकबा 0.50 हेक्टयर, खसरा नम्बर 355 रकबा 0.15 हेक्टयर, खसरा नम्बर 56 रकबा 0.31 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकता 0.96 हेक्टयर रेस्पोडेन्टगण के शामलाती खाते दर्ज रिकार्ड है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर अपीलांट ने जानबूझ कर जबरदस्ती जातिय कारणो से रेस्पोडेन्टगण की इच्छा के विपरीत व बिना इजाजत के कब्जा कर लिया था। प्रकरण मे 183 (बी) आर.टी.एक्ट एक समरी ट्रायल प्रक्रिया है। जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा निर्णय पारित किया गया है। उक्त भूमि पर वर्तमान मे हम काश्त कर रहे है कब्जा प्राप्त कर लिया है। ये प्रभावशाली लोग है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2024 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान नन्दकिशोर बैरवा बनाम चौथमल नाथ योगी मे निर्णय दिनांक 30.08.2024 को पारित किया गया है जिसकी पालना भी हो चुकी है। जिसमें यह न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हैं।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन [illegible] खारिज की जाती है।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को [illegible] इजलास सुनाया गया।

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 13:07:14 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ